संख्या– 641 / 77–1–2014–07(टीपी) / 2013

प्रेषक,

शिवानन्द ओझा,
सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप),
लखनऊ

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक, 27 जून, 2014

विषय :– इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपने पत्र संख्या– इटप / लख / प्रशा0 / 2013 / 296, दिनांक 08.10.2013 एवं पत्र संख्या–इटप / लख / प्रशा0 / शासन / 2014 / 42, दिनांक 05.05.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में इटप, लखनऊ के अधिकारियों / कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव सम्यक विचारोपरान्त मा0 मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 27–06–2014 को इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि अधिवर्षता आयु में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय का पूर्ण भार इटप, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निर्णय के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शिवानन्द ओझा)
सचिव

संख्या :–641(1) / 77–1–2014–07(टीपी) / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (सिविल / आडिट) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।
4– संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
5– वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2 / 4,उ0प्र0 शासन।
6– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6,उ0प्र0 शासन।
7– नियोजन अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव

san\dt\cabinet note\noting